राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः—मुसप्र/2019/536 दिनांकः— 28/8/19

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड—प्रथम उदयपुर/उप आवासन आयुक्त वृत्त—उदयपुर के अधीन विभिन्न आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के अनिस्तारित फ्लेटो/आवासों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारित किये जाने के संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियंता—द्वितीय द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर खुली बिक्री योजना में नगद भुगतान पद्वति से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। खुली बिक्री योजना से निस्तारण किये जाने वाले फ्लेटों/आवास का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र. स.	योजना का नाम	आय वर्ग	फ्लैट/आवास नम्बर	कुल
1	द्वारकापुरी योजना उदयपुर	अल्प आय वर्ग (जी+3)	A-401, D-402, I-302	03
2.	सविना द्वितीय उदयपुर	मध्यम आय वर्ग—ब (जी+3)	S-5/T-31	01
3.	दक्षिण विस्तार योजना उदयपुर	मध्यम आय वर्ग—अ	B-180, B-183,B-192, B-195	04
4.	सलुम्बर आवासीय योजना	मध्यम आय वर्ग—ब	1-B-08	01
		उच्च आय वर्ग	1-A-07	01
			कुल	10

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता उक्त फ्लैटों का निस्तारण आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.17 मे निम्नलिखित निर्धारित शर्तो पर किया जाना सुनिश्चित करे :—

1. फलटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लैटो (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) निस्तारण उचित प्रसार—प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिकी योजना के अतिरिक्त किसी प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत निरस्त किय गये है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 12/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ –

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (मु0) / द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड–प्रथम, उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, भिवाडी।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक